

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 941

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

विद्यालयों में छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य

†941. डॉ. नामदेव किरसान:

श्री सतपाल ब्रह्मचारी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अंतर्गत विद्यालयों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण संबंधी रूपरेखा कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;
- (ख) क्या विद्यालयों के लिए छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति करना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या अनेक निजी और सरकारी विद्यालयों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परामर्शदाताओं की नियुक्ति नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;
- (घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कितनी निधि आवंटित की गई है;
- (ङ) क्या निधि की व्यवस्था सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर की जाती है; और
- (च) क्या सरकार का विद्यालयों में छात्रों की कुशल मानसिक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक नीति शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क) से (च): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। तथापि, शिक्षा के महत्व को देखते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अस्तित्व में आई है, जो मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और तनाव को कम करने और आनंदपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर देती है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मौजूदा सरकारी स्कूलों को सुदृढ़ करने, बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और संवर्द्धन तथा अन्य गतिविधियों जैसे कि करियर मार्गदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मरक्षा आदि के लिए उनके प्रस्तावों के आधार पर समग्र

शिक्षा के तहत सहायता प्रदान की जाती है। तथापि परामर्शदाता रखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा निजी विद्यालयों सहित सभी प्रबंधन विद्यालय आवश्यकतानुसार यह सुविधा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 बच्चों के पोषण और उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखती है, जो अधिकतम अधिगम के लिए आवश्यक है। एनईपी इसे प्राप्त करने के लिए विविध तरीके सुझाती है। बच्चों के पोषण के लिए, पीएम पोषण योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत 10.24 लाख स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 11.70 करोड़ छात्र लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 8.64 करोड़ छात्रों की स्वास्थ्य जांच की गई है। वर्ष 2023-24 के दौरान एनीमिया मुक्त भारत के तहत लगभग 9.71 करोड़ छात्रों को आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन (आईएफए) प्राप्त हुआ और लगभग 8.50 करोड़ छात्रों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (एनडीडी) के तहत कृमिनाशक दवाएं मिलीं। आईएफए और कृमि मुक्ति टेबल बेहतर स्वास्थ्य और अच्छे अधिगम परिणामों के लिए सहायक हैं।

एनईपी 2020 के परिप्रेक्ष्य के अनुसार, एनसीईआरटी ने आधारभूत चरण (एनसीएफ-एफएस) के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) विकसित और शुरू किए हैं। दोनों एनसीएफ विभिन्न पहलुओं जैसे पाठ्यक्रम विकास, अधिगम और शिक्षण सामग्री में सामग्री का विकास, शैक्षणिक अभ्यास आदि में छात्रों के मानसिक कल्याण को एकीकृत करते हैं। यह रूपरेखा सभी हितधारकों, शिक्षकों, स्कूल के अधिकारियों, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों की भूमिका पर भी जोर देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक छात्र को मानसिक और भावनात्मक सहयोग प्रदान किया जाए।

मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, सरकार ने 21 जुलाई, 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत मनोदर्पण नामक पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश भर के छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों और अन्य मनोसामाजिक मुद्दों पर सहायता चाहने वाले देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों तक पहुँचने के लिए एक राष्ट्रीय टोल-फ्री टेली-हेल्पलाइन (844-844-0632) शुरू की गई है। हेल्पलाइन पर दी जाने वाली सेवाएँ निःशुल्क हैं। मनोदर्पण छात्रों के लिए संसाधन के रूप में स्कूल और

कॉलेज/विश्वविद्यालय दोनों स्तरों पर (<https://manodarpan.education.gov.in>) काम करने वाले काउंसलर की निर्देशिका भी प्रदान करता है। पीएम ईविद्या चैनलों पर छात्रों के लिए 'सहयोग' नामक लाइव इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें अभ्यास करने वाले काउंसलर शामिल होते हैं और ये सत्र अलग-अलग क्षेत्रों में सोमवार से शुक्रवार को (शाम 05:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक) आयोजित किए जाते हैं। इन सत्रों को पीएम ईविद्या चैनल और 'एनसीईआरटी ऑफिशियल' यूट्यूब चैनल (<https://www.youtube.com/@NCERTOFFICIAL/streams>) पर देखा जा सकता है। अब तक आयोजित कुल 'सहयोग' सत्र 946 हैं और दिनांक 27.11.2024 की स्थिति के अनुसार 11 लाख से अधिक दर्शक लाभान्वित हुए हैं। लाइव इंटरैक्टिव वेबिनार 'परिचर्चा' (दिनांक 26.11.2024 की स्थिति के अनुसार 192) हर शुक्रवार को दोपहर 2:30 से 4:00 बजे तक आयोजित किए जाते हैं। ये सत्र छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों की मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों को हल करते हैं। स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों के लिए कई सम्मेलन, उन्मुखीकरण और सत्र आयोजित किए गए हैं, ताकि उन्हें छात्रों में तनाव और चिंता पैदा करने वाले कारकों जिसमें परीक्षा, शैक्षणिक, परिणाम और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थितियां जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके और उन्हें उन्मुख किया जा सके, और इन स्थितियों के प्रबंधन के लिए उनकी समझ का सृजन कर उन्हें सक्षम बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय ने कई पहलों की हैं, जैसे परीक्षा पे चर्चा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री छात्रों से बातचीत करते हैं ताकि उन्हें परीक्षा के तनाव से उबरने और परीक्षा को उत्सव के रूप में मनाने में मदद मिल सके। अन्य पहलों में कला उत्सव शामिल है, जिसमें प्रदर्शन कला में छात्रों की प्रतिभा को प्रदर्शित किया जाता है और बैंगलेस डे का आयोजन किया जाता है ताकि दबाव कम हो और आनंदपूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिले।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्यों में टेली मानसिक स्वास्थ्य सहायता और नेटवर्किंग (टेली मानस) नामक एक निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की है, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को सहायता और सहयोग प्रदान करती है। 20 भाषाओं में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य और सेवा प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन नंबर (14416) या 1800-891-4416 पर पूरे देश में 24X7 प्रशिक्षित और मान्यता प्राप्त मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताओं तक पहुँच उपलब्ध है। यह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों को निःशुल्क सहायता और सहयोग प्रदान करता है। दिनांक 22.11.2024 की स्थिति के अनुसार, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 15,95,000 से अधिक कॉलों का निपटान किया गया है।
